

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025—फाल्गुन 5, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच(04) : मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3/33/2017/1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा- :

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I - 2.5%, में- क्रम संख्या 98क के पश्चात, एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"98ख.	1904	फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)"
-------	------	------------------------------------

(ख) अनुसूची III- 9%, में-कॉलम (3) क्र.सं. 15 के सामने, "सामान्यतः मुरकी के नाम से ज्ञात" शब्दों के पश्चात ", फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) अनुसूची VI के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणा पत्र वहन करना आवश्यक है।"

.2यह अधिसूचना 16 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (04), दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 24th February 2025

No. F A 3-33/2017/1/V(04) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No F-A3-33-2017-1-V (42) Dated 29th June 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule I – 2.5%, after S. No. 98A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

“98B.	1904	Fortified Rice Kernel (FRK)”;
-------	------	-------------------------------

- (b) in the Schedule III – 9%, against S. No. 15, in column (3), after the words “commonly known as Murki”, the words “ Fortified Rice Kernel (FRK)” shall be inserted;
- (c) after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii)The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 16th day of January, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.